



POLICE COMMISSIONERATE



PRAYAGRAJ

सराहनीय कार्य / प्रेस विज्ञप्ति- दिनांक 08.05.2026

थाना मऊआइमा पुलिस टीम द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान् पुलिस आयुक्त महोदय व अतिरिक्त पुलिस आयुक्त के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान् पुलिस उपायुक्त व अपर पुलिस उपायुक्त गंगानगर के पर्यवेक्षण में व सहायक पुलिस आयुक्त फूलपुर के कुशल नेतृत्व में गंगानगर-जोन के थाना मऊआइमा पर पंजीकृत मु0अ0सं0-119/26 धारा-318(4)/340(2)/351(2)/352 भा0न्या0सं0 व 66(डी) आई0टी0 एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त नितेश कटियार पुत्र स्व0 सुरेन्द्र कुमार कटियार निवासी ब्रह्मनान कस्बा जलालाबाद जनपद शाहजहांपुर को थाना मऊआइमा पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 08.05.2026 को थाना मऊआइमा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम बरईपुर के पास से गिरफ्तार कर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त नितेश कटियार उपरोक्त द्वारा पुरानी रंजिश को लेकर मुकदमा वादी को फंसाने के उद्देश्य से मुकदमा वादी के नाम का दुरूपयोग करते हुए सोशल मीडिया वाट्सऐप पर मा0 मुख्यमंत्री उ0प्र0 श्री योगी आदित्यनाथ जी के विरुद्ध आपत्तिजनक टिप्पणी कर जान से मारने की धमकी दी गयी थी, जिसके सम्बंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मऊआइमा पर मु0अ0सं0-119/26 उपरोक्त पंजीकृत किया गया था।

पूछताछ का विवरण-

गिरफ्तार किये गये अभियुक्त नितेश कटियार उपरोक्त से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आया कि मुकदमा वादी द्वारा अभियुक्त नितेश कटियार उपरोक्त के विरुद्ध साइबर थाना गाजियाबाद मे शिकायत किया गया था जिसमें उभयपक्षों के बीच साइबर थाने पर आपस में समझौता हो गया था, तभी से अभियुक्त नितेश कटियार उपरोक्त वादी मुकदमा से नफरत करता था तथा मुकदमा वादी को फंसाने के उद्देश्य से सोशल मीडिया वाट्सऐप पर मा0 मुख्यमंत्री उ0प्र0 श्री योगी आदित्यनाथ जी के आवास को बम से उड़ाने की धमकी दिया था ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

नितेश कटियार पुत्र स्व0 सुरेन्द्र कुमार कटियार निवासी ब्रह्मनान कस्बा थाना जलालाबाद जनपद शाहजहांपुर उम्र करीब 32 वर्ष ।

सम्बंधित अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0-119/26 धारा-318(4)/340(2)/351(2)/352 भा0न्या0सं0 व 66(डी) आई0टी0 एक्ट थाना मऊआइमा कमिश्नरेट प्रयागराज ।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 आलोक सिंह, थाना मऊआइमा कमिश्नरेट प्रयागराज ।
2. उ0नि0 चन्द्रशेखर यादव, थाना मऊआइमा कमिश्नरेट प्रयागराज ।
3. का0 जगजीवन राम, थाना मऊआइमा कमिश्नरेट प्रयागराज ।

हत्या के अभियोग से सम्बन्धित 01 अभियुक्त थाना करैली पुलिस द्वारा गिरफ्तार

थाना करैली पुलिस द्वारा थाना स्थानीय के पंजीकृत मु0अ0सं0-69/2026 धारा 61(2)(a)/103(1) बी0एन0एस0 से सम्बन्धित 01 अभियुक्त अरबाज खान पुत्र आलम खान निवासी म0नं0 50B/2A नया पुरवा मस्तान मार्केट थाना करैली जनपद प्रयागराज को मुखबिर की सूचना पर आज दिनांक 08.05.2026 को ससुर खदेरी नदी के पास थाना क्षेत्र करैली से गिरफ्तार किया गया। नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

अरबाज खान पुत्र आलम खान निवासी म0नं0 50B/2A नया पुरवा मस्तान मार्केट थाना करैली जनपद प्रयागराज, उम्र करीब 23 वर्ष।

सम्बन्धित अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0-69/2026 धारा 61(2)(a)/103(1) बी0एन0एस0 थाना करैली कमिश्नरेट प्रयागराज।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 आशीष सिंह, थानाध्यक्ष करैली कमिश्नरेट प्रयागराज।
2. उ0नि0 रमेश सिंह, थाना करैली कमिश्नरेट प्रयागराज।
3. का0 सुमित कुमार सिंह, थाना करैली कमिश्नरेट प्रयागराज।
4. का0 सचिन कुमार, थाना करैली कमिश्नरेट प्रयागराज।
5. का0 अवधेश गिरी, थाना करैली कमिश्नरेट प्रयागराज।
6. रि0का0 मनोहर यादव, थाना करैली कमिश्नरेट प्रयागराज।